दिनांक 03.09.2014 (बुधवार) को नेतरहाट विद्यालय समिति की कार्यकारिणी समिति के सभापति, श्री नरेन्द्र भगत, भा.प्र.से. (से.नि.) की अध्यक्षता में समिति कार्यालय रांची में कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति संलग्न है।

कार्यकारिणी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1. **कार्यसूची की मद सं. 1 :**

(i) कार्यकारिणी समिति की दिनांक 12.05.2014 की बैठक की कार्यवाही की कंडिका 9 में अंकित श्री प्रवीण टोप्पो,भा.प्र.से.,निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड-सदस्य के स्थान पर, निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड-सदस्य के संशोधन के साथ, दिनांक 12.05.2014 की बैठक एवं दिनांक 20.06.2014 की विशेष बैठक की कार्यवाही को संपुष्ट किया गया।

(ii) दिनांक 12.05.2014 की बैठक की कार्यवाही की कंडिका 3(ii) के संदर्भ में विद्यालय में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदकों की रिक्त पदों पर, प्रावधानों के अनुरूप एक सप्ताह के अन्तर्गत नियुक्ति कर समिति को सूचित करने का निदेश प्राचार्य को दिया गया।

(iii) कार्यवाही की कंडिका 3(iv) में समिति को अवगत कराया गया कि CBSE संबन्धन से समर्पित आवेदन के प्रसंग में जुलाई 2014 के अंतिम सप्ताह में CBSE कार्यालय द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छायें तथा अनुदेश दिये गये हैं। पृच्छित बिन्दुओं का समाधान करते हुए तथा प्राप्त अनुदेश के अनुपालनार्थ सम्बन्धित संचिका में प्रस्ताव प्रशासी विभाग को समर्पित है। समिति का प्राचार्य को निदेश हुआ कि प्रशासी विभाग से इस पर पहल करते हुए संचिका के शीघ्र निष्पदानार्थ प्रशासी विभाग से आग्रह किया जाय।

सम्प्रति प्रभावी जैक द्वारा संचालित परीक्षा प्रणाली से इतर CBSE प्रणाली के अंगीकरण प्रस्ताव के संदर्भ में समिति का यह मंतव्य हुआ कि नई प्रणाली में कई एक पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाना नितान्त आवश्यक है, अतएव इस हेतु समिति की विशेष बैठक निकट भविष्य में ही आहूत की जाय।

(iv) कार्यवाही की कंडिका 3(v) के संदर्भ में शैले एवं उसके एनेक्सी के हस्तान्तरण हेतु उपायुक्त लातेहार को स्मार पत्र देने हेतु प्राचार्य को निदेशित किया गया।

(v) कार्यवाही की कंडिका 3(vii) के संदर्भ में सम्यक विमर्शोपरान्त समिति नियमावली के नियम 20 के उपनियम 2.7 के प्रावधानानुसार, प्राचार्य के कार्यो के संपादन में सहायता के लिए, स्थानीय प्रबन्धन समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। प्रबंधन समिति का गठन निम्नानुसार किया गया -

(i) अध्यक्ष	प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय	पदेन
(ii) सदस्य	उप प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय	पदेन
(iii) सदस्य	शिक्षक प्रतिनिधि	1 वर्ष के लिए मनोनीत-श्री विंध्याचल पाण्डेय
(iv) सदस्य	प्रशासी पदाधिकारी, नेतरहाट विद्यालय	पदेन

(vi) कार्यवाही की कंडिका 3 (ix) के संदर्भ में, समिति के विज्ञापन सं. Net-Appointment-Regular-03/2013 के आलोक में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के क्रम में संचालित अंतर्वीक्षा उपरान्त विषयवार चयनित अभ्यर्थियों की सूची समिति के अवगतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा चयन समिति की नियुक्ति हेतु अनुशंसाओं का अनुमोदन करते

हुए तद्नुसार नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने का निदेश प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव को दिया गया।

प्राचार्य को यह भी निदेश दिया गया कि समिति के विज्ञापन सं. Net-Appointment-Regular-03/2013 के आलोक में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अनुशंसित पदों के अतिरिक्त,शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने हेतु दिनांक 15.10.2014 तक विज्ञापन प्रकाशित कराये जायं।

तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति में अत्यधिक विलम्ब हो चुका है। प्राचार्य द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उनके स्तर पर गठित नियुक्ति समिति की बैठक में, अन्य बातों के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की अनिवार्यता बनाए रखने के कारण गतिरोध की स्थिति बन गयी है। समिति द्वारा इस बिंदु पर यह निदेश प्राचार्य को दिया गया कि राज्य सरकार के कार्यालयों में प्रभावी प्रणाली के अनुसार चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति अभ्यर्थियों के साक्षात्कार उपरांत किए जायं, लिखित परीक्षा की आवश्यकता एतदर्थ नहीं हो। किन्तु, तृतीय वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति-पूर्व गठित 'चयन समिति', प्रावधानानुसार, विधिवत् लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किए जाने की प्रणाली अपनायगी। तद्नुसार, अपेक्षित कार्रवाई कर अनुपालन प्रतिवेदन समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निदेश प्राचार्य को दिया गया।

(vii) कार्यवाही की कंडिका 3(xi) के संदर्भ में नवनियुक्त शिक्षकों-काउसंलर, प्रशासी पदाधिकारी के लिए आवासीय उपस्कर का दिनांक 30.10.2014 तक क्रय सुनिश्चित करने का निदेश प्राचार्य को दिया गया।

(viii) कार्यवाही की कंडिका 5 के संदर्भ में परीक्ष्यमान नव नियुक्त शिक्षकों एवं अन्य पदाधिकारियों की सेवा संपुष्टि विषयक प्रस्ताव समेकित रूप से प्राचार्य के एक ही पत्र में अनुशंसा की गई है। इसे प्रचलित प्रणाली के अनुकूल नहीं पाया गया अतएव प्राचार्य को निदेश दिया गया कि सभी शिक्षकों, काउंसलर, प्रशासी पदाधिकारी की अलग-अलग विधिवत् संधारित, सेवा पुस्तिका के माध्यम से, विस्तृत सेवा विवरण अंकित करते हुए अनुशंसा के साथ आवश्यक निर्णयार्थ सभापति को प्रतिवेदन समिति की आगामी बैठक के पूर्व समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

(ix) कार्यवाही की कंडिका 6 के संदर्भ में वर्ष 2015 से विद्यालय प्रवेश परीक्षा का संचालन नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा करने का निर्णय लिया गया। विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने के क्रम में लगने वाली संभावित संसाधनों एवं तैयारियों आदि के सम्बन्ध में विस्तृत प्रतिवेदन समिति को 15 अक्टूबर 2014 तक समिति को प्राचार्य समर्पित करेंगे। आवश्यकतानुसार, प्राचार्य इस प्रयोजनार्थ वरीय शिक्षकों की एक संक्षिप्त उपसमिति गठित कर सकेंगे।

2. **कार्यसूची की मद सं. 2 :** विद्यालय परिसर में मेसर्स एयरटेल द्वारा टावर निर्माण निमित्त आवश्यक भूखंड आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार-विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि उक्त एजेंसी के साथ एक एम.ओ.यू सदृश एकरारनामा अगामी 20 वर्षों की अवधि के लिए किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि इस हेतु उक्त एजेंसी द्वारा प्रस्तावित 6000.00 रू. प्रतिमाह के लीज रेंट भुगतान के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हुए एजेंसी से यह आग्रह किया जाय कि वे विद्यालय प्रशासन के अधीन उनकी आवश्यकतानुसार संचार सुविधाएं वर्णित अवधि में निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। उक्त एजेंसी के एक प्रतिनिधि जो एजेंसी के समर्पित प्रस्ताव पर 'समिति' के निर्णय की जानकारी के लिए इस कार्यालय में प्रतीक्षारत थे, उन्हें निणर्य का संसूचन किया गया। साथ ही एजेंसी के साथ एम.ओ.यू. से संबन्धित समिति को उनकी ओर से उपलब्ध कराये गये कागजात पर अग्रतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

N Khacat

3. **कार्यसूची की मद सं. 3 :** विद्यालय परिसर अन्तर्गत आश्रमादि के जीर्णोद्धार आदि कार्यो की प्रगति की समीक्षा के आलोक में समिति द्वारा यह अनुभव किया गया कि बाहरी दिवारों का पूर्व में लिये गए निर्णयानुसार स्नोसम के बदले, उक्त निर्णय को संशोधित करते हुए, वेदरकोट पेंट कराया जाना श्रेयस्कर होगा। यह भी अनुभव किया गया कि आवश्यकतानुसार जलरिसाव रोधी (Seepage Proofing) कार्य करा लिया जाना श्रेयस्कर होगा। इस हेतु समिति का यह निर्णय हुआ कि भवन निर्माण विभाग को तद्नुसार अवगत करा दिया जाय तथा ऐसी परिस्थितियों में विहित सरकारी प्रावधानानुसार, एकरारनामा की शर्त्तो के अधीन, कार्य कराने का निर्णय लिया गया।

4. **कार्यसूची की मद सं. 4 :** विद्यालय में सम्प्रति प्रभावी आय आधारित छात्रों के वर्गीकरण की वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में समीक्षा की गयी उक्त वर्गीकरण में संशोधन पर विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्राचार्य अपने स्तर पर विद्यालय के वरीय शिक्षकों की एक उपसमिति गठित कर तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

5. **कार्यसूची की मद सं. 5 :** विद्यालय के विकास हेतु नई योजनाओं के सूत्रण पर विचार-विमर्श किया गया। समिति का यह निर्णय हुआ कि विद्यालय परिसर में Water Recharge System के अधिष्ठापन हेतु, सड़कों के दोनो ओर Solar Power आधारित Lamp Posts के अधिष्ठापन हेतु राज्य सरकार के संबन्धित विभागों को अनुरोध आवेदन पत्र समर्पित किये जायं।

6. **कार्यसूची की मद सं. 6 :** आश्रमों के जीर्णोद्धार कार्य की वर्तमान प्रगति की समीक्षा उपरान्त इन कार्यो को निरन्तर प्रगति हेतु, यथा आवेदित, कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल लोहरदगा को विगत माह अगस्त 2014 में अग्रिम-स्वरूप भुगतान किये गए 10.00 करोड़ रू. की समिति द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

7. **कार्यसूची की मद सं. 7 :** नेतरहाट विद्यालय परिसर अन्तर्गत भवनों के जीर्णोद्धार/नवनिर्माण/विस्तार आदि कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त अनुदान राशि याचित अतिरिक्त अनुदान राशि 35.629 करोड़ के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में मात्र 15.00 करोड़ रू. बजटीय उपबन्ध किये जाने के फलरूवरूप शेष राशि (35.629-15.00=20.629 करोड़ रू.) के अनुदान मांग हेतु प्रशासी विभाग को शीघ्र अनुरोध पत्र भेजने का प्राचार्य को निदेश दिया गया।

8. **कार्यसूची की मद सं. 8 :** विद्यालय परिसर में प्रस्तावित वृहद Hi-Tech नर्सरी (पौधशाला) की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि विभाग, झारखंड सरकार को समर्पित है। उक्त मिशन द्वारा विहित राशि सीमा के अतिरिक्त, नर्सरी के त्वरित अधिष्ठापन तथा विकास के लिए अनुमानित लगभग 10.00 लाख रू. की मांग के प्रस्ताव को विद्यालय के आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट प्रस्ताव में समाहित किये जाने का निर्णय लिया गया।

9. **कार्यसूची की मद सं. 9 :** नेतरहाट विद्यालय परिवार के लिए Dairy (गोशाला), कृषि फार्म की स्थापना तथा मसरूम उत्पादन तथा मधुपालन की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में विमर्शोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रथमतः उनमें से प्रत्येक का विस्तृत प्रस्ताव तथा कार्य-योजना प्रारूप विद्यालय प्राचार्य अपने स्तर पर एक उपसमिति गठित कर तैयार कराएंगे तथा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

10. **कार्यसूची की मद सं. 10 :** रांची स्थित समिति कार्यालय के सभापति कक्ष सह-सभाकक्ष के आवश्यकतानुसार विस्तार-कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग को अनुरोध पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।

3. **कार्यसूची की मद सं. 3 :** विद्यालय परिसर अन्तर्गत आश्रमादि के जीर्णोद्धार आदि कार्यो की प्रगति की समीक्षा के आलोक में समिति द्वारा यह अनुभव किया गया कि बाहरी दिवारों का पूर्व में लिये गए निर्णयानुसार स्नोसम के बदले, उक्त निर्णय को संशोधित करते हुए, वेदरकोट पेंट कराया जाना श्रेयस्कर होगा। यह भी अनुभव किया गया कि आवश्यकतानुसार जलरिसाव रोधी (Seepage Proofing) कार्य करा लिया जाना श्रेयस्कर होगा। इस हेतु समिति का यह निर्णय हुआ कि भवन निर्माण विभाग को तद्नुसार अवगत करा दिया जाय तथा ऐसी परिस्थितियों में विहित सरकारी प्रावधानानुसार, एकरारनामा की शर्त्तो के अधीन, कार्य कराने का निर्णय लिया गया।

4. **कार्यसूची की मद सं. 4 :** विद्यालय में सम्प्रति प्रभावी आय आधारित छात्रों के वर्गीकरण की वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में समीक्षा की गयी उक्त वर्गीकरण में संशोधन पर विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्राचार्य अपने स्तर पर विद्यालय के वरीय शिक्षकों की एक उपसमिति गठित कर तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

5. **कार्यसूची की मद सं. 5 :** विद्यालय के विकास हेतु नई योजनाओं के सूत्रण पर विचार-विमर्श किया गया। समिति का यह निर्णय हुआ कि विद्यालय परिसर में Water Recharge System के अधिष्ठापन हेतु, सड़कों के दोनो ओर Solar Power आधारित Lamp Posts के अधिष्ठापन हेतु राज्य सरकार के संबन्धित विभागों को अनुरोध आवेदन पत्र समर्पित किये जायं।

6. **कार्यसूची की मद सं. 6 :** आश्रमों के जीर्णोद्धार कार्य की वर्तमान प्रगति की समीक्षा उपरान्त इन कार्यो को निरन्तर प्रगति हेतु, यथा आवेदित, कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल लोहरदगा को विगत माह अगस्त 2014 में अग्रिम-स्वरूप भुगतान किये गए 10.00 करोड़ रू. की समिति द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

7. **कार्यसूची की मद सं. 7 :** नेतरहाट विद्यालय परिसर अन्तर्गत भवनों के जीर्णोद्धार/नवनिर्माण/विस्तार आदि कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त अनुदान राशि याचित अतिरिक्त अनुदान राशि 35.629 करोड़ के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में मात्र 15.00 करोड़ रू. बजटीय उपबन्ध किये जाने के फलरूवरूप शेष राशि (35.629-15.00=20.629 करोड़ रू.) के अनुदान मांग हेतु प्रशासी विभाग को शीघ्र अनुरोध पत्र भेजने का प्राचार्य को निदेश दिया गया।

8. **कार्यसूची की मद सं. 8 :** विद्यालय परिसर में प्रस्तावित वृहद Hi-Tech नर्सरी (पौधशाला) की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि विभाग, झारखंड सरकार को समर्पित है। उक्त मिशन द्वारा विहित राशि सीमा के अतिरिक्त, नर्सरी के त्वरित अधिष्ठापन तथा विकास के लिए अनुमानित लगभग 10.00 लाख रू. की मांग के प्रस्ताव को विद्यालय के आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट प्रस्ताव में समाहित किये जाने का निर्णय लिया गया।

9. **कार्यसूची की मद सं. 9 :** नेतरहाट विद्यालय परिवार के लिए Dairy (गोशाला), कृषि फार्म की स्थापना तथा मसरूम उत्पादन तथा मधुपालन की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में विमर्शोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रथमतः उनमें से प्रत्येक का विस्तृत प्रस्ताव तथा कार्य-योजना प्रारूप विद्यालय प्राचार्य अपने स्तर पर एक उपसमिति गठित कर तैयार कराएंगे तथा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

10. **कार्यसूची की मद सं. 10 :** रांची स्थित समिति कार्यालय के सभापति कक्ष सह-सभाकक्ष के आवश्यकतानुसार विस्तार-कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग को अनुरोध पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।

11. **अन्यान्य :**

(क) 17 अगस्त 2014 को विद्यालय परिसर में हीरक जयंती समारोह 2014 से सम्बन्धित वृक्षारोपण कार्यक्रम का प्रतिवेदन समिति के अवगतार्थ प्रस्तुत किया गया।

(ख) 13-14 सितम्बर 2014 को विद्यालय के हीरक जयंती समारोह के संदर्भ में रांची स्थित आई.एम.ए.हॉल में प्रस्तावित विद्यालय के पेंटिंग, अन्य कला-कृतियों की प्रदर्शनी सह बिक्री कार्यक्रम की रूपरेखा समिति के अवगतार्थ प्रस्तुत की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि कला विभाग के शिक्षक के अतिरिक्त विद्यालय उप प्राचार्य, इस कार्यक्रम के वरीय प्रभार में होंगे।

(ग) वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु वृक्षारोपण से सम्बन्धित वन विभाग के सहयोग के लिए, आवश्यकतानुसार पौधों के किस्म तथा उनकी संख्या सहित,गेबियन(सुरक्षा-घेरा) की आवश्यकता का आकलन वन विभाग को समर्पित किये जाने का निर्णय लिया गया साथ ही प्राचार्य को इस प्रसंग में शीघ्र तत्सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार कर समिति को समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(घ) : नेतरहाट विद्यालय समिति की नियमावली के नियम 20 (कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य) के उपनियम 2.9 (ख) में विहित प्रावधान के आलोक में विद्यालय के वरीयतम शिक्षक, श्री राम नरेश सिंह को विद्यालय के उप प्राचार्य के पद पर नामित किए जाने का निर्णय लिया गया। उनके द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कृत्य एवं दायित्वों के निर्धारण कार्यकारिणी समिति द्वारा निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया -

(i) विद्यालय के हीरक जयंती वर्ष 2014 से सम्बन्धित समारोह के आयोजन के संदर्भ में विद्यालय प्रशासन की ओर से प्रमुख समन्वयक। इस प्रयोजनार्थ उनकी एक सहयोगी टीम में सर्वश्री डा. सुरेश झा, राजेश कुमार राय, मुरलीधर कोटवार, अंशुमान चटर्जी एवं सुश्री शीतल वर्णवाल-सभी शिक्षक तथा श्री शशिभूषण तिवारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर संलग्न होंगे। कार्य तथा उनकी प्रगति से समय-समय पर प्राचार्य को अवगत करायेंगे तथा उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

(ii) विद्यालय के चल तथा अंचल सम्पत्ति से संबंधित पूर्ण विवरण तथा तत्सम्बन्धी कागजातों के विधिवत् संधारण का प्रभार तथा दायित्व। सम्प्रति पुरानी चल सम्पत्ति के सूचीकरण तथा आवश्यकतानुसार सामग्रियों के अपलेखन विषयक प्रक्रियारत कार्य के क्रम में, सुविधानुसार, विद्यालय के विभागवार तथा आश्रमों के आश्रमवार, इन कार्यों के निमित्त सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/आश्रमाध्यक्षों को अपने स्तर से निदेशित कर सकेंगे।

विद्यालय के विभिन्न मासिक लेखा के नियमित संधारण का अनुश्रवण। वेतन-गैर वेतन व्यय प्रतिवेदन के प्रतिमाह प्राचार्य के माध्यम से 'समिति' के अवगतार्थ समर्पित किए जाने का प्रभार। अन्य प्रतिवेदन (भंडार, साज-सज्जा, स्थल आदि) प्रत्येक तिमाही प्राचार्य के माध्यम से समिति के अवगतार्थ समर्पित करने का प्रभार।

(iii) विद्यालय की स्थापित परम्पराओं की पृष्ठभूमि में, आश्रमों में सम्प्रति अपनायी जा रही प्रणाली, पी.टी. तथा विभिन्न खेलों में अनिवार्य सहभागिता, पुस्तकालय प्रबंधन, शैक्षणिक कार्यक्रमों में अनिवार्य विषयों में छात्रों की सहभागिता की वर्तमान वस्तुस्थिति का आकलन तथा तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन, आवश्यकतानुसार, अनुशंसाओं सहित, कार्यकारिणी समिति को प्रतिवेदन के रूप में, 30 सितम्बर 2014 तक प्रस्तुत करेंगे।

(iv) परिसर में विद्यालय परिवार के मध्य समुचित अनुशासन स्थिति पर निरन्तर दृष्टि तथा आवश्यकतानुसार विचलन के मामलों में एक वरीय अभिभावक के रूप में कार्य दायित्व का प्रभार; तथा समय-समय पर सीधे प्राचार्य को वस्तुस्थिति से अवगत कराये रखने का दायित्व।

11. **अन्यान्य :**

(क) 17 अगस्त 2014 को विद्यालय परिसर में हीरक जयंती समारोह 2014 से सम्बन्धित वृक्षारोपण कार्यक्रम का प्रतिवेदन समिति के अवगतार्थ प्रस्तुत किया गया।

(ख) 13-14 सितम्बर 2014 को विद्यालय के हीरक जयंती समारोह के संदर्भ में रांची स्थित आई.एम.ए.हॉल में प्रस्तावित विद्यालय के पेंटिंग, अन्य कला-कृतियों की प्रदर्शनी सह बिक्री कार्यक्रम की रूपरेखा समिति के अवगतार्थ प्रस्तुत की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि कला विभाग के शिक्षक के अतिरिक्त विद्यालय उप प्राचार्य, इस कार्यक्रम के वरीय प्रभार में होंगे।

(ग) वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु वृक्षारोपण से सम्बन्धित वन विभाग के सहयोग के लिए, आवश्यकतानुसार पौधों के किस्म तथा उनकी संख्या सहित,गेबियन(सुरक्षा-घेरा) की आवश्यकता का आकलन वन विभाग को समर्पित किये जाने का निर्णय लिया गया साथ ही प्राचार्य को इस प्रसंग में शीघ्र तत्सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार कर समिति को समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(घ) : नेतरहाट विद्यालय समिति की नियमावली के नियम 20 (कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य) के उपनियम 2.9 (ख) में विहित प्रावधान के आलोक में विद्यालय के वरीयतम शिक्षक, श्री राम नरेश सिंह को विद्यालय के उप प्राचार्य के पद पर नामित किए जाने का निर्णय लिया गया। उनके द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कृत्य एवं दायित्वों के निर्धारण कार्यकारिणी समिति द्वारा निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया -

(i) विद्यालय के हीरक जयंती वर्ष 2014 से सम्बन्धित समारोह के आयोजन के संदर्भ में विद्यालय प्रशासन की ओर से प्रमुख समन्वयक। इस प्रयोजनार्थ उनकी एक सहयोगी टीम में सर्वश्री डा. सुरेश झा, राजेश कुमार राय, मुरलीधर कोटवार, अंशुमान चटर्जी एवं सुश्री शीतल वर्णवाल-सभी शिक्षक तथा श्री शशिभूषण तिवारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर संलग्न होंगे। कार्य तथा उनकी प्रगति से समय-समय पर प्राचार्य को अवगत करायेंगे तथा उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

(ii) विद्यालय के चल तथा अंचल सम्पत्ति से संबंधित पूर्ण विवरण तथा तत्सम्बन्धी कागजातों के विधिवत् संधारण का प्रभार तथा दायित्व। सम्प्रति पुरानी चल सम्पत्ति के सूचीकरण तथा आवश्यकतानुसार सामग्रियों के अपलेखन विषयक प्रक्रियारत कार्य के क्रम में, सुविधानुसार, विद्यालय के विभागवार तथा आश्रमों के आश्रमवार, इन कार्यों के निमित्त सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/आश्रमाध्यक्षों को अपने स्तर से निदेशित कर सकेंगे।

विद्यालय के विभिन्न मासिक लेखा के नियमित संधारण का अनुश्रवण। वेतन-गैर वेतन व्यय प्रतिवेदन के प्रतिमाह प्राचार्य के माध्यम से 'समिति' के अवगतार्थ समर्पित किए जाने का प्रभार। अन्य प्रतिवेदन (भंडार, साज-सज्जा, स्थल आदि) प्रत्येक तिमाही प्राचार्य के माध्यम से समिति के अवगतार्थ समर्पित करने का प्रभार।

(iii) विद्यालय की स्थापित परम्पराओं की पृष्ठभूमि में, आश्रमों में सम्प्रति अपनायी जा रही प्रणाली, पी.टी. तथा विभिन्न खेलों में अनिवार्य सहभागिता, पुस्तकालय प्रबंधन, शैक्षणिक कार्यक्रमों में अनिवार्य विषयों में छात्रों की सहभागिता की वर्तमान वस्तुस्थिति का आकलन तथा तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन, आवश्यकतानुसार, अनुशंसाओं सहित, कार्यकारिणी समिति को प्रतिवेदन के रूप में, 30 सितम्बर 2014 तक प्रस्तुत करेंगे।

(iv) परिसर में विद्यालय परिवार के मध्य समुचित अनुशासन स्थिति पर निरन्तर दृष्टि तथा आवश्यकतानुसार विचलन के मामलों में एक वरीय अभिभावक के रूप में कार्य दायित्व का प्रभार; तथा समय-समय पर सीधे प्राचार्य को वस्तुस्थिति से अवगत कराये रखने का दायित्व।

(v) सामान्य निकाय तथा कार्यकारिणी समिति के निर्णयों का विद्यालय प्रशासन के स्तर पर कार्यान्वयन/अनुपालन की स्थिति की समीक्षा का दायित्व तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन, आवश्यकतानुसार, समय-समय पर प्राचार्य को सुपुर्द करने का प्रभार।

(vi) नेतरहाट विद्यालय के वेबसाइट के अद्यतन करने तथा आवश्यकतानुसार समय-समय पर विद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों के विवरण संकलन कर समयानुसार उनकी पोस्टिंग वेबसाइट में किये जाने का प्रभार तथा दायित्व। इस कार्य हेतु कम्पयुटर शिक्षक के अतिरिक्त अन्य जानकार शिक्षक को सहयोगी टीम में सम्मिलित किये जाने हेतु वे स्वतंत्र होंगे। कृत कार्यो की प्रगति से समय-समय पर प्राचार्य तथा 'समिति' को अवगत करायेंगे।

(vii) प्राचार्य के अवकाश, भ्रमण अथवा किसी अन्य कारण से मुख्यालय से बाहर होने की स्थिति में उप-प्राचार्य उनके रूटीन कार्यो के प्रभार में होंगे।

(viii) आवश्यकतानुसार, समय-समय पर, कतिपय अन्य कृत्य एवं दायित्व उन्हें 'समिति' द्वारा संसूचित किया जाया।

(ङ.) समिति नियमावली के नियम 20 के उपनियम 2.9 (घ) में प्रावधान के आलोक में सम्यक विमर्शोपरान्त Bursar (कोषपाल) की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। प्राचार्य को निदेश दिया कि समिति की नियुक्ति, सेवाशर्त तथा अनुशासन नियमावली 2011 के तहत Bursar (कोषपाल) के रिक्त पद पर नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने हेतु दिनांक 15.10.2014 तक विज्ञापन प्रकाशित कराना सुनिश्चित किया जाय।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

4.9.2014

(नरेन्द्र भगत)
सभापति,
कार्यकारिणी समिति,
नेतरहाट विद्यालय समिति।

नेतरहाट विद्यालय समिति

कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की, दिनांक 03.09.2014 को आहूत बैठक में उपस्थिति :–

उपस्थिति :–

क्र०	नाम	पता	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	हस्ताक्षर
1.	श्री नरेन्द्र भगत, भा०प्र०से० (सेवा निवृत्त)	अग्रवाल नर्सिंग होम के सामने बरियातू रोड, राँची	सभापति	3.9.2014
2.	श्री ज्योति भ्रमर, तुबिद, भा०प्र०से०	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य	
3.	श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा, भा०प्र०से०	प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य	
4.	श्री जॉन पास्कल लकड़ा भा०प्र०से०	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य	—
5.	श्री कृष्ण स्वरूप प्रसाद	184/सी० 2, हरिहर सिंह रोड, मोरहाबादी, राँची	सदस्य	3/9/14
6.	डा० अमलेन्दु शेखर मित्र	मातृछाया, दिव्यायन के दक्षिण, मोरहाबादी, राँची	सदस्य	03/9/14
7.	श्री अरूण कुमार सिंह, उप सचिव, वित्त विभाग,	वित्त विभाग के प्रतिनिधि वित्त सचिव द्वारा मनोनीत	सदस्य	03/09/2014
8.	श्री बिमलांशु शेखर मल्लिक	प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट	सदस्य सचिव	03/09/14
9.	श्री राम नरेश सिंह	शिक्षक, नेतरहाट विद्यालय	विशेष आमंत्रित	03.9.14
10.				